21 साल से अटका राजधानी का मास्टर प्लान

1975 के बाद केवल दो मास्टर प्लान बने

प्रांजुल पांण्डेय

भोपाल, 7 अगस्त. राजधानी 21 साल पुराने मास्टर प्लान के आधार पर आगे बढ़ रही है. शहर की सीमाएं कोलार, मिसरोद, रायसेन रोड, विदिशा रोड, सीहोर दिशा, मेट्रो और रिंग रोड तक विस्तार पा चुकी हैं, लेकिन वैधानिक मास्टर प्लान अभी भी वर्ष 2005 वाली योजना पर टिका हुआ है.

ऐसे में अब सरकार से नया मास्टर प्लान की निश्चित तारीख बताने की मांग उठ रही है. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में भी

मेट्रोपॉलिटन रीजन के नाम पर फिर न टले मास्टर प्लान

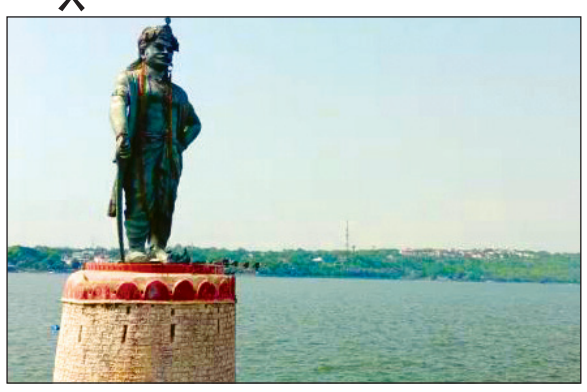

भोपाल के मास्टर प्लान में देरी का उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार 1975 के बाद भोपाल के लिए केवल दो मास्टर प्लान स्वीकृत हुए.तीसरे मास्टर प्लान का काम वर्ष 2006 से शुरू हुआ, वर्ष 2020 में 2031 का प्रारूप प्रकाशित किया गया और फरवरी 2021 में इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा गया. हालांकि बाद में इसे 2047 के दृष्टिकोण से दोबारा तैयार करने के निर्देश दिए गए. अब सरकार की ओर से महानगरीय क्षेत्र (मेट्रोपॉलिटन रीजन) योजना को आधार बनाकर नई प्रक्रिया की बात कही जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि महानगरीय योजना जरूरी है, लेकिन इसे शहर की विकास योजना का विकल्प नहीं बनाया जा सकता.

भोपाल शहर के लिए भूमि उपयोग, सड़क, पार्क, सार्वजनिक सुविधाओं और स्थानीय विकास की स्पष्ट योजना जरूरी है. वर्ष 2023 में संशोधित प्रारूप पर 3,005 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए थे. इन पर सुनवाई भी हुई, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितने सुझाव स्वीकार किए गए और कितनों का निराकरण हुआ.

नवभारत मुहिम
कब लागू होगा नया मास्टर प्लान

जनप्रतिनिधि बोले- अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं

मास्टर प्लान नहीं होने से अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं, जो भविष्य में शहर के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं. 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने मास्टर प्लान की पूरी तैयारी कर ली थी और जल्द ही इसे लागू करने की योजना थी.

पीसी शर्मा, पूर्व विधायक

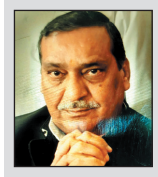

मास्टर प्लान नहीं होने से लोग बिना योजना के निर्माण कर रहे हैं, जिससे भविष्य में रहवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

सुनील सूद, पूर्व महापौर

मास्टर प्लान को जितने देर से लागू किया जाता है, शहर के विकास की रफ्तार उतनी ही धीमी होती जाती है. समय पर ही योजना लागू होने से शहर का सुनियोजित विकास संभव होता है.

मुकेश नायक ,पूर्व मंत्री

दूसरे मास्टर प्लान की सड़कें नहीं हो पाईं विकसित

मास्टर प्लान में देरी का सीधा असर यातायात, कॉलोनियों, जमीन उपयोग और अधोसंरचना पर पड़ रहा है. पुराने मास्टर प्लान में प्रस्तावित कई सड़कें आज तक विकसित नहीं हो सकीं, जिससे भविष्य में चौड़ीकरण की लागत और विवाद दोनों बढ़ सकते हैं. शहरी विकास लेखक एवं शोधकर्ता मनोज मीक के अनुसार अब सरकार को केवल मास्टर प्लान तैयार है या विचाराधीन है, जैसे जवाबों से आगे बढ़कर तीन स्पष्ट तारीखें घोषित करनी चाहिए- महानगरीय योजना का प्रारूप कब आएगा, मास्टर प्लान कब सार्वजनिक होगा और अंतिम अधिसूचना कब जारी होगी.

तिरंगा यात्रा के दौरान कल मार्ग रहेंगे परिवर्तित

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 7 अगस्त. टीटी नगर स्टेडियम में रविवार को प्रात: 9 बजे से जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा. नगरीय यातायात पुलिस ने इस दौरान वाहन पार्किंग, यातायात व वाहन डायवर्जन व्यवस्था किया है.

तिरंगा यात्रा टीटी नगर स्टेडियम मेन गेट से शुरू होकर महाराणा प्रताप मार्ग, एक्सिस बैंक तिराहा, टीटी क्रॉस तिराहा, रोशनपुरा चौराहा से यू-टर्न कर टीटी क्रॉस से राइट टर्न थाना चौराहा से लेफ्ट टर्न सेंट्रल पॉइंट से राइट टर्न मटकू तिराहा से लेफ्ट टर्न टीटी नगर स्टेडियम समाप्त होगी.

यात्रा मार्ग पर भारी वाहन प्रतिबंधित

- यात्रा वाले मार्ग पर प्रात : 09 :00 बजे तक भारी वाहन, लोक परिवहन वाहन एवं अनुमति प्राप्त वाहन पूर्णत : प्रतिबंधित रहेंगे .
- यात्रा के दौरान रोशनपुरा से एक्सिस बैंक तिराहा की जाने वाला यातायात रोशनपुरा से रंगमहल चौराहा, जवाहर चौक, अटल पथ होकर आवागमन कर सकेंगे .
- प्लैटिनम प्लाजा चौराहा से रोशनपुरा की ओर जाने वाला यातायात प्लैटिनम प्लाजा से अटल पथ, जवाहर चौक, रंगमहल होकर आवागमन कर सकेंगे .
- प्लैटिनम प्लाजा, एक्सिस बैंक तिराहा* से राइट टर्न लेकर अंकुर स्कूल से लेफ्ट टर्न लेकर मालवीय नगर, गांधी पार्क होकर आवागमन कर सकेंगे .

अवैध शराब बेचने वाले पर 30 हजार जुर्माना

भोपाल. अवैध शराब बेचने वाले दोषी को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह यादव ने अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले दोषी धीरज विश्वकर्मा को आबकारी अधिनियम में दोषी पाया. दोषी के खिलाफ 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज भार्गव ने पैरवी की.

जहां मिलना था आसरा, वहां फर्श बना बिस्तर

खाली बेड, फिर भी ज़मीन पर रात गुज़ारने को मजबूर लोग

सिटी रिपोर्टर

भोपाल, 7 अगस्त. रेलवे स्टेशन के पास स्थित रैन बसेरा, जो जरूरतमंदों को सुरक्षित रात बिताने के उद्देश्य से बनाया गया है, इन दिनों बदहाली और अव्यवस्था की तस्वीर पेश कर रहा है. यहां प्रतिदिन करीब 400 से अधिक लोग ठहरने आते हैं, लेकिन नवभारत की पड़ताल में जो तस्वीर सामने आई, उसने व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए.

रैन बसेरे में 50 से अधिक बेड उपलब्ध हैं, इसके बावजूद कई लोग खुले फर्श पर सोने को मजबूर मिले, जबकि अधिकांश बेड खाली पड़े थे.

वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रैन बसेरे के भीतर लंबे समय से बिजली खराब है. उनका आरोप है कि कर्मचारियों द्वारा यह कहकर अंदर सोने से रोका जाता है कि लोग गंदगी फैलाते हैं. मजबूरी में दिहाड़ी मजदूर और आसपास के क्षेत्रों से काम की तलाश में आने वाले गरीब लोग जमीन पर रात गुजारते हैं. रात होते ही परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने की शिकायत भी सामने आई, जिससे यहां ठहरने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं. हालांकि पड़ताल के दौरान रैन बसेरे में साफ-सफाई संतोषजनक दिखाई दी, लेकिन खाली बेड होने के बावजूद लोगों का फर्श पर सोना व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करता है.

इनका कहना है...

इस मामले में जोनल अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति से 5 रुपये शुल्क लिया जाता है, जिसमें भोजन की व्यवस्था भी शामिल है. उनके अनुसार सभी को अंदर बेड पर सोने की अनुमति है. यदि कहीं लापरवाही या नियमों का उल्लंघन हुआ है तो पूरे मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

एक नजर में

उपभोक्ताओं को होगी बेहतर बिजली आपूर्ति

भोपाल. मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि औद्योगिक उच्चदाब उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किए गए हैं. मैदानी अधिकारियों को भी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं. कंपनी की ओर से औद्योगिक उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए आयोजित संवाद कार्यशाला में बिजली सेवाओं और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी गई. इसमें टाइम ऑफ डे रिबेट, पावर फैक्टर इंसेंटिव, अग्रिम भुगतान पर प्रोत्साहन और समय से पहले बिल भुगतान पर 0.25 प्रतिशत प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के बारे में बताया गया.

3 लाख की शराब, बाइक समेत आरोपी गिरफ्तार

भोपाल. रातीबड़ थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के पास से 14 बॉटल अंग्रेजी एवं 289 क्वार्टर देशी शराब सहित एक मोटरसायकल जब्त की. आरोपी के पास से मिले सामानों की कीमत करीबन 3 लाख रुपये है. पुलिस के मुताबिक आरोपी अंकित सैनी (20) निवासी सूरज नगर के खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत की कार्रवाई की. सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने शराब की पेटी अपने घर में रखने की बात कही, जिसे पुलिस ने पहुंचकर जब्त किया.

चौराहे पर लगे बेरिकेड का विरोध

एकजुट होकर व्यापारियों का प्रदर्शन

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 7 अगस्त. चौक बाजार व्यापारी संघ ने शुक्रवार को व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मोती मस्जिद चौराहे के पास संघ के सदस्य दुकानें बंद कर विरोध किया. यहां पर लगे बेरिकेड का विरोध करते हुए हाथों में तिरंगा लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है.

व्यापारियों का कहना है कि चौराहे पर बेरिकेड होने की वजह से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है. व्यापारियों का यह भी तर्क है कि बेरिकेटिंग होने से आपातकालीन स्थिति में चौक बाजार इलाके में फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है.

बेरिकेड हटाने की मांग को लेकर व्यापारियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है. स्थानीय व्यापारियों ने दो दिन पहले चौराहे पर लगे बेरिकेडिंग के विरोध को लेकर रैली निकाली थी. प्रदर्शन के दौरान भोपाल व्यवसायी महासंघ, श्री सराफा एसोसिएशन, फेडरशन ऑफ राजधानी वस्त्र व्यवसायी संघ, ओल्ड भोपाल होलसेल रेडीमेड संघ, आजाद मार्केट व्यावसायी संघ, नदीम रोड व्यापारी संघ, इब्राहिमपुरा व्यापारी संघ के पदाधिकारी एकत्रित रहे.

दो महिलाओं समेत अपहरण के तीन आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग को पुलिस ने किया बरामद

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 7 अगस्त. सूखीसेवनिया पुलिस ने अपहृत नाबालिग लड़की को खोज कर दो महिलाओं और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपियों की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया.

पुलिस के मुताबिक नाबालिग के परिजन ने थाने में सूचना दी कि उनकी नाबालिग बेटी को 25-26 जुलाई की दरमियानी रात अज्ञात व्यक्ति लेकर चला गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने लगातार लड़की की तलाश की. गुरुवार को पुलिस ने लड़की का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी आशु सहेरिया ने स्वीकार किया कि उसने अपनी महिला साथी दुलारीबाई और समीक्षा सहरिया के साथ मिलकर लड़की का अपहरण किया. आरोपी एक मोटरसाइकिल में बैठा कर नाबालिग को लेकर गए थे.

छात्रा से दोस्ती कर युवक ने किया दुष्कर्म

भोपाल. अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी युवक ने छात्रा से एक साल पहले दोस्ती की. इसके बाद आरोपी लगातार छात्रा जब नाबालिग थी, तब से उसका शारीरिक शोषण करता आ रहा है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ उससे मारपीट करने का भी आरोप लगाया. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है. 18 वर्षीय छात्रा एक कॉलेज में पढ़ाई करती है. करीब एक साल पहले आरोपी अरुण धानक से उसकी दोस्ती एक होटल में हुई. आरोपी उसी होटल का कर्मचारी है और उस दौरान छात्रा की उम्र 17 साल थी.

नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी

13 अगस्त तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 7 अगस्त.चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग का समय सारिणी जारी कर दिया है. जिसमें नीट यूजी-2026 में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थी ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

योग्य अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू हो चुकी है जो 13 अगस्त रात 12 बजे तक चलेगी.इसके बाद 11 अगस्त को खाली सीटों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी. जिस पर 12 अगस्त शाम 5 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं. सभी आपत्तियों के निराकरण के बाद 13 अगस्त को अंतिम सीट सूची प्रकाशित होगी.जबकि मप्र के मूल निवासी छात्रों के लिए राज्य की मेरिट सूची 14 अगस्त को जारी की जाएगी.इसके बाद पद और कॉलेज की पसंद भरने यानी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 15 से 18 अगस्त के बीच संपन्न होगी.

आंवटन 20 को प्रथम चरण का सीट आवंटन परिणाम 20 अगस्त को घोषित किया जाएगा.बता दें जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 21 से 27 अगस्त तक संबंधित मेडिकल या डेंटल कॉलेज में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी.वहीं इसी अवधि में प्रवेश रद्द कराने या अपग्रेडेशन का विकल्प चुनने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.

नवभारत की प्रति बुक करने के लिए संपर्क करें

आलोक श्रीवास्तव
मो. नं. 9828161600
भूपेंद्र पटवा
मो. नं. 7828549007